प्रेषक,

राकेश प्रताप सिंह,
उप सचिव,
उ0प्र0शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निबन्धक,
सहकारिता,उ0प्र0,
लखनऊ।

सहकारिता अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक: 06 अक्टूबर,2016

विषय-वित्तीय वर्ष 2015-16 में यूरिया एवं फास्फेटिक उर्वरकों के अग्रिम भण्डारण योजना के अन्तर्गत हुए व्यय की प्रतिपूर्ति किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक: 142/कृषि-निवेश, दिनांक 14-06-2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पी0सी0एफ0 एवं अन्य सहकारी संस्थाओं की वित्तीय वर्ष 2015-16 में यूरिया एवं फास्फेटिक उर्वरकों के अग्रिम भण्डारण योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्राविधानित धनराशि रू0 100.00 करोड़ के सापेक्ष गत वित्तीय वर्ष 2015-16 की देनदारी की प्रस्तावित धनराशि रू0 33,26,57,525.46 (तैंतिस करोड़ छब्बीस लाख सत्तावन हजार पॉच सौ पच्चीस रूपये छियालिस पैसे मात्र) की प्रतिपूर्ति किए जाने की स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है :--

2- प्रीपोजीशनिंग योजनान्तर्गत ब्याज, भण्डारण एवं परिवहन के मद में पी0सी0एफ0 एवं अन्य सहकारी संस्थाओं की रू0 33,26,57,525.46 की देयता का विवरण निम्नवत है :---

क्र0	नाम संस्था/समिति	अवधि	भण्डारण शुल्क	ब्याज	परिवहन	योग
1	पीसीएफ	नवम्बर,15	19323603.00	-	9810049.29	29133652.29
2	पीसीएफ	दिसम्बर,15	14151634.50	65666020.00	39265593.56	119083248.06
3	पीसीएफ	जनवरी,16	6821244.00	46779733.00	40054543.78	93655520.78
4	पीसीएफ	फरवरी,16	3529385.00	33727681.00	14899616.84	52156682.84
5	पीसीएफ	मार्च,16	2703642.00	28717327.00	2432072.49	33853041.49
6	जूट संघ,पीलीभीत	दिस0से फरवरी,16	-	-	164519.00	164519.00
7	डी0सी0एफ0 मथुरा	जून से फरवरी16	-	-	1933547.00	1933547.00
8	डी0सी0एफ0आजमगढ	फरवरी से मार्च16	-	-	6151.00	6151.00
9	डी0सी0एफ0मु0नगर	फरवरी से मार्च16	-	-	200221.00	200221.00
10	डीसीएफ, सहारनपुर	जनवरी से मार्च16	-	-	709554.00	709554.00
11	डीसीएफ उन्नाव	फरवरी,2016	-	-	89270.00	89270.00
12	के0उप0भ0,एटा	फरवरी से मार्च16	-	-	185696.00	185696.00
13	जूट संघ, खीरी	जनवरी से मार्च16	-	-	226367.00	226367.00
14	जंगीपुर,क्र0वि0सं0 गाजीपुर	फरवरी,2016	-	-	14944.00	14944.00
15	क्र0वि0सं0आगरा	फरवरी,2016	-	-	13267.00	13267.00

--2/--

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

ftp://shasanadesh.up.nic.in

16	डी0सी0एफ0,उरई	फरवरी,2016	-	-	69044.00	69044.00
17	डी0सी0एफ0,बुलंदशहर	जनवरी से मार्च16	-	-	584837.00	584837.00
18	के0उप0भ0प्रतापगढ़	नवम्बर से मार्च,16	-	-	185456.00	185456.00
19	जूट संघ, सीतापुर	फरवरी से मार्च16	-	-	13387.00	13387.00
20	डी0सी0एफ0 बिजनौर	फरवरी से मार्च16	-	-	342746.00	342746.00
21	डी0सी0एफ0, सीतापुर	जनवरी से फरवरी16	-	-	36374.00	36374.00
	कुल योग		46529508.50	174890761.00	111237255.96	332657525.46

3- आयुक्त एवं निबन्धक,सहकारिता, उ0प्र0, लखनऊ एवं वित्त नियंत्रक, सहकारिता, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा अपने स्तर से यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत धनराशि का व्यय उसी मद में किया जायेगा जिस प्रयोजन हेतु धनराशि स्वीकृत हुयी है और उक्त धनराशि को अन्य मदों में व्यय कदापि न किया जाय तथा यह भी पुष्टि कर ली जायेगी कि व्यय को प्रस्तावित अनुमोदित योजना के अनुसार ही स्वीकृत किया जा रहा है।

4- उक्त जारी वित्तीय स्वीकृति के अन्तर्गत कोषागार से धन का आहरण विद्यमान व्यवस्था तथा संगत नियमों के अनुसार व्यय की आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन/महालेखाकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

5- वित्तीय वर्ष 2016-17 में शासनादेश दिनांक 22मार्च, 2016 में प्राविधानित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

6- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-18 के अधीन आयोजनेत्तर पक्ष के अन्तर्गत लेखा शीर्षक 2425-00-800-05-00-27-रासायनिक उर्वरकों का अग्रिम भण्डारण योजना के नामे डाला जायेगा।

7- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या- ई-2-923/दस-16, दिनांक:03-10-2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

राकेश प्रताप सिंह
उप सचिव।

पृष्ठांकन संख्या: 18/2016/972(1)/49-3-2016, तद्-दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित: --

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम व द्वितीय,उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- वित्त नियंत्रक, कार्यालय-आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता,उ0प्र0,लखनऊ।
4- वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1,उ0प्र0शासन।
5- प्रबन्ध निदेशक,यू0पी0कोआपरेटिव फेडरेशन लि0,32स्टेशन रोड, लखनऊ ।
6- मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियों एवं पंचायतें, उ0प्र0(नवें तल), इन्दिरा भवन,लखनऊ।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

राकेश प्रताप सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in